

**कार्यालय, जिला परिषद, शेखपुरा**  
(अल्पकालीन निविदा)-आमंत्रण सूचना संख्या-01/2017/

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 19 प0रा0/दिनांक 29.03.2017 द्वारा शेखपुरा जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में कुल 07 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक उपस्कर एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न इच्छुक/फर्म/संस्थानों से नीचे लिखे शर्तों पर कोटेशन आमंत्रित की जाती है :-

1. विज्ञापन दाता :- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शेखपुरा
2. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :- 09.11.2017 को 04:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन प्राप्ति का स्थान :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :- 09.11.2017 को 04:00 बजे अपराह्न में।
5. कोटेशन खोलने का स्थान :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा।
6. प्रति पंचायत सरकार भवन में आवश्यकता।


क्र०सं०	विवरण	प्रति पंचायत सरकार भवन हेतु आवश्यकता
01	02	03
01	Revolving Chair	08
02	Visitor Chair	20
03	Table Large	05
04	Table Medlum	04
05	Table Small	03
06	3 Seater Chair Premium	02
07	3 Seater Chair Normal	02
08	Almirah	05
09	Confrence Table	01
10	Lock 7 Layer	07
11	Celling Fan	10
12	Fire Safety	02
13	Compute Desktop Set	01
14	Water Purifier Machin	01
15	Mike Set	01
16	Jug Steel	05
17	Glass steel	10
18	Plastic Chair	25
19	Dari 20'x20"	02
20	Notice Board	02


### तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें

1. फर्म अथवा संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. अधतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. सामग्री आपूर्ति हेतु पूर्व में प्राप्त कार्यदेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदा दो अलग-अलग लिफाफे में होगी, जिसमें तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए।
5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता ही वित्तीय निविदा में भाग ले सकेंगे।
6. उपरोक्त सामग्री की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री का पूर्ण गुणवत्ता की गारंटी एवं वारंटी की अवधि दर्ज करनी होगी।
8. अग्रधन के रूप में 50,000.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट "उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शेखपुरा" के नाम से देय होगा।
9. दर कार्य स्थल पर सामानों की दुलाई के साथ होगा, उन्हें किसी प्रकार के अतिरिक्त दुलाई दर देय नहीं होगा।
10. अधतन आयकर एवं जी0एस0टी0/वैट/पैन का प्रमाण पत्र देना होगा।
11. भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि के उपलब्धता एवं दर के अनुमोदन के पश्चात् ही होगा।
12. सामग्री का दर जी0एस0टी0 सहित अंकित होना चाहिए। भुगतान के समय नियमानुसार जी0एस0टी0 और आयकर की राशि काटकर भुगतान किया जायेगा।
13. कंपनी या फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र मूल एवं निविदा पत्र के साथ संलग्न रहना चाहिए।
14. निविदा के साथ सामग्री का कैटलॉग एवं अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख करना होगा।
15. क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
16. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
17. सामग्री आपूर्ति के पूर्व अग्रिम देय नहीं होगा।
18. निविदा के रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहरताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
19. सामग्री की जानकारी जिला परिषद कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा से प्राप्त किया जा सकता है।

ज्ञापांक 1414 / दिनांक 24.10.2017 /

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त अल्पकालीन निविदा बेवसाईट Sheikhpura.bih.nlc.in पर अपलोड किया जाय कराने की कृपा की जाय।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, शेखपुरा

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, शेखपुरा